

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प0 7(9)राज/वाद/22

जयपुर, दिनांक 27-7-2022

1. मीमांसा राजपूत पुत्री श्री रामजीत राजपूत,  
26, गौरव एन्कलेव, रश्मि विहार,  
कहरई मोड, शमशावाद रोड,  
आगरा, उत्तरप्रदेश-282001
2. अभिषेक वर्मा पुत्र श्री रामअवतार वर्मा,  
निवासी सी-34 बलाई बस्ती,  
जे.पी. कॉलोनी टॉक फाटक, जयपुर 302015

विषय:- दस्तावेज सत्यापन/काउंसलिंग (counselling) में  
उपस्थित होने के सम्बन्ध में।  
सन्दर्भ:- इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 18.07.2022 एवं  
20.07.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित आदेशों के द्वारा आपको समस्त वांछित मूल दस्तावेज के साथ दस्तावेज सत्यापन/काउंसलिंग (counselling) हेतु क्रमशः दिनांक 20.07.2022 एवं 21.07.2022 को उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु आज दिनांक तक आप दस्तावेज सत्यापन/काउंसलिंग (counselling) हेतु उपस्थित नहीं हुये है।

अतः आपको सन्दर्भित आदेशों के क्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप दस्तावेज सत्यापन/काउंसलिंग (counselling) हेतु दिनांक 03.08.2022 तक कार्यालय समय में आवश्यक रूप से उपस्थित हों तथा दस्तावेज सत्यापन/काउंसलिंग में उपस्थित होने में इच्छुक नहीं होने की स्थिति में लिखित में अपना प्रार्थना पत्र जरिये मेल (secretarylaw@rajasthan.gov.in) सहित अवगत कराने का श्रम करावें।

साथ ही लेख है कि उक्त दिनांक 03.08.2022 तक उपस्थित नहीं होने की स्थिति में आपका मूल आवेदन फॉर्म प्रशासनिक सुधार विभाग को यह मानते हुये वापिस लौटा दिया जावेगा की आप शीघ्रलिपिक के पद पर नियुक्ति के इच्छुक नहीं है।

प्रतिलिपि प्रोग्रामर विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु प्रेषित है।

(हिमांकनी गौड़ )

विशिष्ट शासन सचिव

27/7/22

(हिमांकनी गौड़ )

विशिष्ट शासन सचिव